कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी

पत्रांक : आशु0 / मान्यता / 15649-52 / 2007–08 दिनांक– 01-2-2008

प्रबन्धक

सरदार बाबा सिंह पब्लिक स्कूल, रेहरिया-मोहम्मदी खीरी।

शासनादेश संख्या 1073 / 15–(6–98–18(एस–7) / 89 दिनांक 15.07.98 एवं शासनादेश संख्या 1073(1) / 15–5–98 (एस–7) / 89 दिनांक 10.09.98 में निहित निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक नवीन अस्थायी प्रकृति की मान्यता दिनाक 01.7.07 से पाँच वर्ष के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप पॉच वर्ष के भीतर पूर्ण स्थायी मान्यता की शर्तें पूरी करते हुए स्थायी मान्यता हेतु आवेदन कर दें। इस अवधि में यदि आप द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं की जाती है तो मान्यता अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत आपकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

शर्तें :–

1– विद्यालय समिति का नवीनीकरण समय पर कराया जाये एवं नवीनीकरण की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जायें।

2– भूमि / भवन विद्यालय के नाम से पंजीकृत कराया जाये। भवन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

3– पर्याप्त क्रीड़ा स्थल नहीं है विद्यालय के नाम क्रीड़ा स्थल पंजीकृत कराया जाये।

4– सभी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

5– बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये एवं निर्धारित शुल्क ही लिया जाये। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क न लिये जायें।

6– खेलकूद सामग्री विज्ञान सामग्री व शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

7– विद्यालय भवन में निर्धारित मानको के अनुसार कक्षा–कक्षों की व्यवस्था की जाये।

8– विद्यालय में आग से बचाव के समस्त साधन उपलब्ध रखे जायें।

9– विद्यालय की छात्र संख्या में वृद्धि की जाये।

10– कक्षा 1 से 5 के अतिरिक्त अन्य कक्षाये न संचालित की जायें।

उक्त के अतिरिक्त यदि आप द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्गत / निर्देश के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम खीरी।

2– सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी।

3– कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

✓

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी

पत्रांक : आशु0 / मान्यता / 17303-07 /2007–08 दिनांक– 1/3/2008

प्रबन्धक

सरदार बाबा सिंह प०स्कूल
दशमेश नगर रेहरिया
लखीमपुर – खीरी।

शासनादेश संख्या 646 / 15–06–97–18 (7) / 89 दिनांक 13.08.97 तथा शासनादेश संख्या–13 / 79–6–2005–28 (10) / 05 दिनांक 16.05.2005 में निहित नियमों एवं निर्देशों के आलोक में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय दिनांक 10.01.2008 के अनुसार मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ट मण्डल लखनऊ के पत्रांक : आशु0 / मान्यता / 7536–40 / 2007–08 दिनांक– जनवरी 11, 2008 के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से आपके विद्यालय को कक्षा–6 से कक्षा–8 तक की अस्थायी मान्यता इस आदेश के निर्गमन की तिथि से प्रदान की जाती है। शासनादेश के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

1. प्रधानाध्यापक	एक पद
2. सहायक अध्यापक	चार पद
3. लिपिक	एक पद
4. चतुर्थ श्रेणी	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / विज्ञान / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाएंगे। शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

(शिवचन्द राम)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 आशु0 / मान्यता / /2007–08 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ट मण्डल, लखनऊ।

3– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी।

4– सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

5– कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

(शिवचन्द राम)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

NOC

SARDAR BABA SINGH PUBLIC SCHOOL

DASHMESH NAGAR REHARIYA - PIPARIYA DHANI

Dist:- Lakhimpur (Kheri)

Mob:- 05876247616, 9451808787 Pin:- 262804

To,

District Inspection of School

Lakhimpur (Kheri)

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 22.07.2014 has amended Affiliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed). In this connection, I beg to inform you that our school is recognized upto 8th class from UP Government and we have applied for provisional affiliation upto Secondary Level.

This is for your kind information please.

Thanking you.

Yours faithfully

रेशम सिंह

President

RESHAM SINGH

SARDAR BABA SINGH

PUBLIC SCHOOL

Encls : As above

Date → 22/05/14

22/5/14

कार्यालय

जिला विद्यालय निरीक्षक

लखीमपुर (खीरी)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AC 612198

AFFIDAVIT

Before :-
Secretary
Central Board of Secodry Education
Shiksha Kendra, 2, Community Cetre
Preet Vihar, Delhi-110092.

I, Resham Singh S/o. S. Baba Singh, Vill. Distapur, Post Rehariya, Distt. Lakhimpur kheri.

That the deponent his the president of Sardar Baba Singh Public School, Dashmesh Nagar, Rehariya-Pipariya Dhani , Lakhimpur Kheri and has informed to the District Inspector of School, Lakhimpur Kheri 22/05/2014 that the school has applied for Provisional Affiliation upto Secondary Level.

रेशम सिंह
Deponent

VERIFICATION

I the deponent do hereby verify that contents of above matter of this affidavit are true to my personal knowledge signed and verified on this 22/05/2014 at Lakhimpur Kheri.

रेशम सिंह
Deponent

I know and identify Resham Singh who has signed before me.
S.S. Shyam 22/5/14

Saiyyed Irfan Ali
NOTARY Advocate
LAKHIMPUR KHERI
Uttar Pradesh (India)